RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

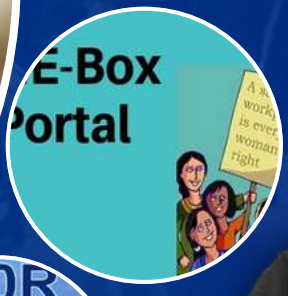

DATE
दिसंबर
06
2024

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors
13. Index

By Ankit Avasthi Sir

यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम / Protection of Women from Sexual Harassment Act (POSH Act)

महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH अधिनियम) के समान रूप से लागू करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए हैं।

यौन उत्पीड़न (POSH अधिनियम) के तहत निर्देश:

1. **जिला अधिकारी की नियुक्ति:**
   - हर जिले में उपयुक्त सरकार द्वारा जिला अधिकारी नियुक्त किए जाएं।
   - यह अधिकारी POSH अधिनियम के तहत संगठनात्मक समितियों का गठन सुनिश्चित करेंगे।
2. **आंतरिक शिकायत समिति (ICC):**
   - अनुभाग 4 के अनुसार, प्रत्येक नियोक्ता को आंतरिक शिकायत समिति गठित करनी होगी।
   - समिति शिकायतें प्राप्त कर, जांच शुरू करती है और कार्रवाई की सिफारिश करती है।
3. **स्थानीय समिति का गठन:**
   - अनुभाग 6 के तहत, उन संस्थानों में स्थानीय समिति बनाई जाएगी, जहां 10 से कम कर्मचारी हैं या शिकायत नियोक्ता के खिलाफ हो।
4. **नोडल अधिकारी की नियुक्ति:**
   - ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्रों में प्रत्येक ब्लॉक, तालुका, तहसील और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिकाओं में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं।
   - स्थानीय समिति का अधिकार क्षेत्र संबंधित जिले तक होगा।
5. **SHe-Box का उपयोग:**
   - सभी राज्यों को SHe-Box (Sexual Harassment Electronic Box) लागू करने का सुझाव दिया गया।
   - यह एक सिंगल विंडो पोर्टल है, जो महिलाओं को यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने में मदद करता है।

उद्देश्य:

- POSH अधिनियम का समान और प्रभावी कार्यान्वयन।
- महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना।

यह कानून पूरे देश में लागू किया जाना है। सर्वेक्षण करने के लिए तीन महीने की समय सीमा दी गई है, और रिपोर्ट 31 मार्च, 2025 तक प्रस्तुत करनी होगी।

POSH अधिनियम 2013:

POSH अधिनियम भारत सरकार द्वारा 2013 में बनाया गया एक कानून है, जिसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकना और एक सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना है।

POSH अधिनियम के प्रमुख प्रावधान:

1. **यौन उत्पीड़न की परिभाषा:**
   POSH अधिनियम के तहत निम्नलिखित अवांछित कृत्यों को यौन उत्पीड़न माना गया है:
   - शारीरिक संपर्क या अग्रिम व्यवहार।
   - यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध।
   - यौन संबंधी टिप्पणी करना।
   - अश्लील सामग्री दिखाना।
   - अन्य कोई अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक कृत्य।
2. **रोकथाम और निषेध**
   - कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने और उसे निषिद्ध करने की जिम्मेदारी नियोक्ता पर होती है।
3. **आंतरिक शिकायत समिति (ICC)**
   - हर कार्यस्थल जहां 10 या अधिक कर्मचारी हों, वहां आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन अनिवार्य है।
   - समिति को शिकायतें सुनने और उचित कार्रवाई करने का अधिकार है।
4. **नियोक्ताओं के कर्तव्य**
   - नियोक्ता को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने, सुरक्षित वातावरण प्रदान करने और POSH अधिनियम की जानकारी प्रदर्शित करनी होती है।
5. **शिकायत प्रक्रिया**
   - अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करने, जांच करने और संबंधित पक्षों को न्यायपूर्ण अवसर प्रदान करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
6. **दंड प्रावधान**
   - अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर जुर्माने और व्यवसाय लाइसेंस रद्द करने जैसे दंड हो सकते हैं।

भारत में प्रजनन दर में गिरावट / Falling Fertility Rate in India

भारत की प्रजनन दर 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे पहुंच गई है। यह गिरावट जीवनशैली, स्वास्थ्य समस्याओं और आर्थिक दबाव जैसे विभिन्न कारणों से प्रभावित है।

भारत की घटती प्रजनन दर: मुख्य बिंदु

1. **प्रजनन दर में गिरावट:**
   - भारत की प्रजनन दर 1950 में 6.2 थी, जो 2024 में घटकर 2 बच्चों प्रति महिला हो गई है।
2. **प्रतिस्थापन स्तर से नीचे:**
   - वर्तमान प्रजनन दर 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से कम है, जिससे भविष्य में जनसंख्या घटने की संभावना है।
3. **वैश्विक प्रवृत्तियों के अनुरूप:**
   - यह बदलाव वैश्विक प्रजनन दर में गिरावट के अनुरूप है, लेकिन भारत के लिए यह नई चुनौतियां और अवसर दोनों पेश करता है।
4. **कारण:**
   - जीवनशैली में बदलाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, और आर्थिक दबाव इस गिरावट के प्रमुख कारण हैं।
5. **प्रभाव:**
   - जनसंख्या में कमी से दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक संरचना पर असर पड़ सकता है।
6. **अवसर और चुनौतियां:**
   - घटती प्रजनन दर से संसाधनों पर दबाव कम हो सकता है, लेकिन श्रमशक्ति और वृद्धावस्था में सहयोग की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

प्रजनन दर में गिरावट के कारण:

1. **शहरीकरण और आधुनिक जीवनशैली:**
   - शिक्षा, करियर, और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर उपलब्धता के कारण महिलाएं छोटे परिवार को प्राथमिकता देती हैं।
   - विवाह में देरी और करियर पर फोकस से प्रजनन अवधि कम हो जाती है।
2. **परिवार नियोजन और जागरूकता:**
   - गर्भनिरोधक और परिवार नियोजन सेवाओं की आसान पहुंच से लोग अपने परिवार का आकार तय कर पा रहे हैं।
3. **आर्थिक दबाव:**
   - बढ़ती जीवनयापन लागत और महंगे शहरों में कई बच्चों का पालन-पोषण कठिन हो गया है।
4. **महिला सशक्तिकरण:**
   - शिक्षा और रोजगार में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने छोटे परिवारों को बढ़ावा दिया है।

प्रजनन दर में गिरावट के सकारात्मक प्रभाव:

1. **जीवन स्तर में सुधार:**
   - कम आश्रितों के कारण परिवारों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आवास की सुविधा मिल सकती है।
2. **संसाधनों का सतत प्रबंधन:**
   - धीमी जनसंख्या वृद्धि से जल, भूमि और ऊर्जा जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम होता है।
3. **महिला सशक्तिकरण पर ध्यान:**
   - छोटे परिवार महिलाओं को शिक्षा और करियर के अवसरों को अपनाने का मौका देते हैं।

प्रजनन दर में गिरावट के नकारात्मक प्रभाव:

1. **आबादी का बुढ़ापा:**
   - 2050 तक भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या में भारी वृद्धि से स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ेगा।
2. **श्रम की कमी:**
   - श्रम प्रधान उद्योगों में छोटे कार्यबल से आर्थिक वृद्धि बाधित हो सकती है।
3. **युवाओं की घटती संख्या:**
   - वर्तमान में भारत की 25 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या लाभकारी है, लेकिन प्रजनन दर में गिरावट से यह लाभ भविष्य में समाप्त हो सकता है।

भारत में प्रजनन दर से जुड़े आंकड़े:

1. **लैंसेट अध्ययन**: भारत की प्रजनन दर लगातार घट रही है। 2050 तक यह 1.29 तक गिर सकती है, जो प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से काफी कम है।
2. **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2019-21)**: देश की कुल प्रजनन दर (TFR) राष्ट्रीय स्तर पर 2.0 हो गई है। शहरी क्षेत्रों में यह 1.6 और ग्रामीण क्षेत्रों में 2.1 है।
3. **ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज अध्ययन (2021)**: 1950 में भारत की TFR 6.18 थी, जो 1980 में 4.60 और 2021 में 1.91 तक गिर गई।

संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव / United Nations General Assembly resolution

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिसमें 1967 से अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्रों, जिसमें पूर्वी यरुशलम भी शामिल है, से इज़राइल की वापसी की मांग की गई। यह प्रस्ताव पश्चिम एशिया में व्यापक, न्यायसंगत और स्थायी शांति स्थापित करने की अपील करता है।

फिलिस्तीन मुद्दे पर शांति स्थापना का प्रस्ताव: मुख्य बिंदु-

1. **प्रस्ताव का परिचय:**
   - "फिलिस्तीन प्रश्न के शांतिपूर्ण समाधान" शीर्षक से प्रस्ताव सेनेगल द्वारा पेश किया गया।
2. **वोटिंग का परिणाम:**
   - संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्यों में से 157 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, जबकि अमेरिका समेत 8 देशों ने विरोध किया।
   - भारत ने भी प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।
3. **दो-राज्य समाधान का समर्थन:**
   - महासभा ने मान्यता प्राप्त सीमाओं के अंदर, 1967 के पूर्व की सीमाओं के आधार पर, इज़राइल और फिलिस्तीन के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व वाले दो-राज्य समाधान को अपना समर्थन दिया।
4. **गाजा पट्टी में बदलाव का विरोध:**
   - प्रस्ताव ने गाजा पट्टी में किसी भी जनसांख्यिकीय या क्षेत्रीय बदलाव की कोशिशों को खारिज कर दिया।
5. **हिंसा पर रोक की मांग:**
   - सभी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियों को तत्काल और पूरी तरह से रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

भारत का रुख: सीरियाई गोलन हाइट्स:

- **प्रस्ताव का समर्थन**: भारत ने इज़राइल से सीरियाई गोलन हाइट्स खाली करने के प्रस्ताव का समर्थन किया।
- **अवैध कब्जे की निंदा**: इस प्रस्ताव में 1967 के बाद से इज़राइल द्वारा किए गए निर्माण और अन्य गतिविधियों को अवैध बताया गया।
- **निर्णय "अमान्य" घोषित**: प्रस्ताव ने इज़राइल के 1981 के फैसले को क्षेत्र पर अपने कानून और अधिकार थोपने के लिए "शून्य और अमान्य" करार दिया।

प्रस्ताव के बारे में:

1. **इज़राइल से तत्काल वापसी की मांग:**
   - प्रस्ताव में इज़राइल से यह मांग की गई है कि वह तुरंत फिलिस्तीन के क जे वाले क्षेत्रों से अपनी सेनाएं हटाए।
2. **अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन:**
   - इज़राइल को अंतरराष्ट्रीय कानून, अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून, और मानवाधिकार कानून के उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराने की मांग की गई है।
3. **गलत कार्यों के परिणाम:**
   - इज़राइल को अपने गलत कार्यों के कानूनी परिणाम भुगतने होंगे।
   - इसमें हुए नुकसान के लिए मुआवजा देने की मांग भी शामिल है।
4. **अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) की सिफारिश पर आधारित:**
   - यह प्रस्ताव अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है।

भारत का पूर्व दृष्टिकोण (इज़राइल-फिलिस्तीन विवाद):

1. **संतुलित दृष्टिकोण**: भारत ने हमेशा संतुलित रुख अपनाते हुए इज़राइल और अरब देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखे हैं।
2. **शांति और कूटनीति**: भारत ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से स्थायी समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया है।
3. **मध्यस्थ की भूमिका**: मानवाधिकार परिषद जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों का उपयोग कर भारत शांति स्थापना में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है।
4. **मजबूत संबंधों का उपयोग**: भारत ने मध्य-पूर्वी देशों और इज़राइल के साथ अपने अच्छे संबंधों को विवाद समाधान में प्रभावी रूप से उपयोग करने की बात कही है।

नैनोबबल्स / Nanobubbles

वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने हाल ही में दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में नैनो बबल तकनीक का शुभारंभ किया। यह अत्याधुनिक तकनीक जल शुद्धिकरण के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी समाधान प्रदान करती है, जो जल गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं का प्रभावी रूप से समाधान करेगी।

नैनोबबल्स क्या हैं?

नैनोबबल्स अति सूक्ष्म बुलबुले होते हैं, जिनका आकार 70 से 120 नैनोमीटर के बीच होता है। ये एक नमक के दाने से लगभग 2,500 गुना छोटे होते हैं। इन्हें किसी भी गैस से बनाया जा सकता है और किसी भी तरल में डाला जा सकता है।

उपयोग:

नैनोबबल तकनीक बहुउद्देश्यीय है और विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग की जाती है:

- **जल शोधन**: कुशल शुद्धिकरण और ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए।
- **कृषि**: फसल की सेहत और मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के लिए।
- **मत्स्य पालन**: जलीय पारिस्थितिक तंत्र को बेहतर बनाने के लिए।
- **खाद्य प्रसंस्करण**: सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए।
- **औद्योगिक क्षेत्र**: जैसे अपशिष्ट जल उपचार और तेल अलगाव।

नैनोबबल्स के मुख्य गुण:

1. **बड़ा सतही क्षेत्र**: नैनोबबल्स का आकार छोटा होने के कारण उनका सतही क्षेत्र-से-आयतन अनुपात अधिक होता है, जिससे गैस और पानी के बीच अधिकतम संपर्क होता है।
    - ये लंबे समय तक पानी में निलंबित रहते हैं, जिससे गैस का प्रभावी हस्तांतरण होता है।
2. **ब्राउनियन गति**: नैनोबबल्स पानी में लगातार गतिशील रहते हैं, जिससे ऑक्सीजन का समान वितरण सुनिश्चित होता है।
    - यह गुण लंबे समय तक घुलित ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखता है।
3. **उच्च ऑक्सीजन हस्तांतरण दक्षता**: नैनोबबल्स लगभग 90% तक ऑक्सीजन स्थानांतरण दक्षता प्राप्त करते हैं, जो पारंपरिक विधियों से कहीं अधिक है।
4. **सतही आवेश**: नैनोबबल्स का मजबूत नकारात्मक सतही आवेश होता है।
    - यह गुण अपशिष्ट जल और तेल पृथक्करण जैसे प्रक्रियाओं में निलंबित कणों के अलगाव को बेहतर बनाता है।

नैनोबबल्स के लाभ:

1. **बेहतर जल शोधन (Water Treatment)**
    - नैनोबबल्स पानी से ऑर्गेनिक प्रदूषकों, बैक्टीरिया, और अन्य अशुद्धियों को प्रभावी रूप से हटा सकते हैं।
2. **सफाई में सुधार (Efficient Cleaning)**
    - ये सतह के छोटे छिद्रों में गहराई तक पहुंचकर जिद्दी गंदगी और दाग-धब्बों को आसानी से साफ कर सकते हैं।
3. **कृषि और मत्स्य पालन में वृद्धि (Agriculture and Aquaculture)**
    - नैनोबबल्स के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति फसलों और जलीय जीवों के विकास, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ा सकती है।
    - यह पोषक तत्वों के बेहतर अवशोषण, कीटनाशकों की आवश्यकता में कमी, और पैदावार में वृद्धि करता है।
4. **तेल और गैस पुनर्प्राप्ति में सुधार (Oil and Gas Recovery)**
    - नैनोबबल्स तरल पदार्थों के प्रवाह को बढ़ाकर तेल और गैस रिकवरी को अधिक कुशल बनाते हैं, साथ ही इसमें रसायनों की आवश्यकता को भी कम करते हैं।
5. **त्वचा और बालों की देखभाल (Skin and Hair Health)**
    - ये त्वचा देखभाल उत्पादों के बेहतर अवशोषण में मदद कर सकते हैं, जिससे त्वचा और बाल स्वस्थ बनते हैं।

मुख्य विशेषता:

नैनोबबल्स की **गैस-से-तरल स्थानांतरण क्षमता** उच्च होती है, जिससे वे विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी साबित होते हैं।

प्रोबा-3 मिशन / Proba-3 mission

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा-3 मिशन को लॉन्च किया। यह मिशन सूर्य के बाहरी वातावरण, (जिसे कोरोना कहा जाता है) का अध्ययन करेगा।

प्रोबा-3 मिशन के बारे में-

1. **विवरण**: प्रोबा -3 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) द्वारा विकसित एक उन्नत सौर मिशन है।
2. **लक्ष्य**: इस मिशन का उद्देश्य सूर्य के कोरोनल परत (सूर्य का बाहरी और सबसे गर्म वायुमंडलीय स्तर) का अध्ययन करना है। यह मिशन 4 दिसंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) द्वारा लॉन्च किया गया
3. **ऑर्बिट और कक्षा**: मिशन को 600 किमी x 60,530 किमी की अंडाकार कक्षा में स्थापित होगा, जिसका कक्षा काल 19.7 घंटे होगा।
4. **विश्व का पहला "प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग"**: प्रोबा-3 मिशन दुनिया का पहला "प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग" करेगा, जिसमें दो उपग्रह एक साथ उड़ान भरेंगे और अंतरिक्ष में एक निश्चित संरचना बनाए रखते हुए काम करेंगे।

प्रॉबा-3 मिशन पर कौन से उपकरण हैं?

- **ASPIICS**: यह उपकरण सूर्य के कोरोना (सूर्य के बाहरी वायुमंडल) का अवलोकन करता है, खासकर सूर्यग्रहण के दौरान।
- **DARA**: यह उपकरण सूर्य से निकलने वाली कुल सौर विकिरण को मापता है।
- **3DEES**: यह उपकरण इलेक्ट्रॉन फ्लक्स (इलेक्ट्रॉन की गति और घनत्व) का अध्ययन करता है, जो अंतरिक्ष मौसम को समझने में मदद करता है।

प्रोबा-3 मिशन की विशेषताएँ:

1. प्रोबा-3 मिशन में दो उपग्रह शामिल हैं -
    - **ऑक्ल्यूटर उपग्रह (200 किलोग्राम)**: यह उपग्रह सूर्य पर कृत्रिम सूर्यग्रहण बनाने के लिए छाया डालता है।
    - **कोरोनाग्राफ उपग्रह (340 किलोग्राम)**: यह उपग्रह सूर्य के कोरोना का अध्ययन करता है और सूर्य के बाहर के वातावरण की तस्वीरें खींचता है।
2. **सटीक संरेखण**: दोनों उपग्रह एक-दूसरे से लगभग 150 मीटर की दूरी पर समानांतर गति करेंगे और प्रतिदिन 6 घंटे तक सूर्य के कोरोना का निरंतर अवलोकन करेंगे। इस सटीक संरेखण को बनाए रखने के लिए, एक उपग्रह से दूसरे उपग्रह पर लेजर प्रकाश का उपयोग किया जाएगा।
3. **कृत्रिम सूर्यग्रहण**: प्राकृतिक सूर्यग्रहण केवल 10 मिनट तक होते हैं, लेकिन प्रोबा-3 मिशन में उपग्रह हर दिन 6 घंटे तक सूर्यग्रहण जैसी परिस्थितियाँ प्रदान करेंगे, जो लगभग 50 सूर्यग्रहणों के बराबर है। यह सूर्य के कोरोना का विस्तृत अध्ययन करने में मदद करेगा।
4. **सौर कोरोनाग्राफ का उपयोग**: मिशन में एक विशाल सौर कोरोनाग्राफ का उपयोग किया जाएगा, जो सूर्य के प्रकाश को रोककर, सूर्य के कोरोना और इसके आसपास के वातावरण का अध्ययन करेगा।

प्रोबा-3 मिशन भारत के लिए लाभकारी-

- **भारत की प्रक्षेपण क्षमता को प्रदर्शित करेगा**: प्रोबा-3 मिशन भारत के PSLV रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष प्रक्षेपण की क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
- **भारत और ESA के बीच अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देगा**: यह मिशन भारत और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के बीच सहयोग को और विस्तारित करेगा।
- **भारतीय वैज्ञानिकों को नए अवसर प्रदान करेगा**: प्रोबा-3 भारत के वैज्ञानिकों को सौर भौतिकी और अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन में नए अवसर प्रदान करेगा, जिससे भारत की अंतरिक्ष वैज्ञानिकता को मजबूती मिलेगी।

ISRO के बारे में जानकारी:

- **स्थापना**: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की स्थापना 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई के प्रयासों से INCOSPAR के रूप में की गई थी।
- **मुख्यालय**: ISRO का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है।
- **वर्तमान अध्यक्ष**: ISRO के वर्तमान अध्यक्ष श्री एस. सोमनाथ हैं।
- **पहला उपग्रह**: 'आर्यभट्ट' भारत का पहला उपग्रह था, जिसे 1975 में लॉन्च किया गया।
- **मार्स ऑर्बिटर मिशन**: 5 नवम्बर 2013 को भारत ने मंगल पर अपना पहला मिशन लॉन्च किया, और ISRO ने भारत को पहला ऐसा देश बनाया जो मंगल पर अपनी पहली कोशिश में सफलता प्राप्त कर पाया।
- **वर्ल्ड रिकॉर्ड**: 15 फरवरी 2017 को ISRO ने एक ही रॉकेट (PSLV-C37) से 104 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर विश्व रिकॉर्ड बनाया।

MH-60R हेलीकॉप्टर / MH-60R helicopter

अमेरिका ने फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम के तहत भारत को MH-60R हेलीकॉप्टर के लिए समर्थन उपकरण बेचने के लिए $1.17 बिलियन के सौदे को मंजूरी दी।
मार्च 2024 में भारतीय नौसेना ने कोच्चि के आईएनएस गरुड़ में MH-60R सीहॉक मल्टी-रोल हेलीकॉप्टरों का पहला स्क्वाड्रन कमीशन किया।

- ये 24 लॉकहीड मार्टिन/सिकोर्स्की MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर के लिए $2.6 बिलियन के विदेशी सैन्य बिक्री सौदे का हिस्सा हैं।

MH-60R सीहॉक के बारे में:

सामुद्रिक संस्करण:

MH-60R, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का समुद्री संस्करण है। इसे फरवरी 2020 में अमेरिकी सरकार के साथ 24 हेलीकॉप्टरों के विदेशी सैन्य बिक्री अनुबंध के तहत खरीदा गया था।

संचालन क्षमताएं:

यह हेलीकॉप्टर कई अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनमें शामिल हैं:

- **पनडुब्बी रोधी युद्ध (Anti-Submarine Warfare)**
- **सतह-रोधी युद्ध (Anti-Surface Warfare)**
- **खोज और बचाव (Search and Rescue)**
- **चिकित्सा निकासी (Medical Evacuation)**

अत्याधुनिक प्रणाली:

ये हेलीकॉप्टर उन्नत हथियारों, सेंसर और एवियोनिक्स सिस्टम से लैस हैं, जो भारत की समुद्री सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं।

- इसमें उन्नत डिजिटल सेंसर हैं, जैसे मल्टी-मोड रडार, इलेक्ट्रॉनिक समर्थन माप प्रणाली, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल/इन्फ्रारेड कैमरा आदि।

अस्त्र-शस्त्र:

MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, जिनमें शामिल हैं:

- **AGM-114 हेलफायर मिसाइलें**
- **MK 54 टॉरपीडो**
- **सटीक हमले के लिए उन्नत हथियार**

ये हेलीकॉप्टर भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए अत्यधिक शक्तिशाली क्षमताएं प्रदान करते हैं।

MH 60R सीहॉक्स का भारत के लिए महत्व:

1. **भारत की रक्षा आधुनिकीकरण:**
   - MH 60R हेलिकॉप्टर भारतीय रक्षा आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2. **संचालन क्षमता में वृद्धि:**
   - यह हेलिकॉप्टर भारत की नीला जल क्षमता को बढ़ाएगा, जिससे नौसेना की परिचालन सीमा और समुद्री संचालन क्षमता में विस्तार होगा।
3. **भारत की समुद्री उपस्थिति को मजबूत करना:**
   - सीहॉक्स की तैनाती भारतीय महासागर क्षेत्र (IOR) में भारतीय नौसेना की उपस्थिति को मजबूत करेगी और संभावित खतरों को हतोत्साहित करेगी।
4. **सुरक्षा के लिए उन्नत क्षमताएँ:**
   - उन्नत हथियार, सेंसर और एवियोनिक्स प्रणाली से लैस, ये हेलिकॉप्टर पारंपरिक और विषम दोनों प्रकार के खतरों से निपटने के लिए आदर्श हैं।
5. **भारत की समुद्री सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता:**
   - यह सीहॉक्स का समावेश भारत के 'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास' (SAGAR) के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

SHe-Box पोर्टल / SHe-Box Portal

महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली "SHe-Box" (सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स) विकसित की है।

- इस पोर्टल पर दर्ज शिकायतें सीधे संबंधित प्राधिकरण तक पहुंचती हैं, जो मामले में कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार होती है।

यह एक ऑनलाइन प्रणाली है, जो "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013" (SH अधिनियम) के विभिन्न प्रावधानों को बेहतर ढंग से लागू करने में मदद करने के लिए बनाई गई है।

मुख्य विशेषताएँ:

1. यह प्रणाली कार्यस्थलों पर गठित आंतरिक समितियों (Internal Committees - ICs) और स्थानीय समितियों (Local Committees - LCs) से संबंधित जानकारी का एक केंद्रीकृत भंडार उपलब्ध कराती है।
2. इसका उद्देश्य देशभर के विभिन्न कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

SHe-Box पोर्टल की मुख्य विशेषताएँ:

1. **नोडल अधिकारी की नियुक्ति:**
   - प्रत्येक कार्यस्थल के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
   - यह अधिकारी नियमित रूप से डेटा और जानकारी को अद्यतन करने और शिकायतों की रियल-टाइम निगरानी सुनिश्चित करेगा।
2. **शिकायत दर्ज करना:**
   - पीड़ित महिला स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उनकी ओर से पोर्टल पर शिकायत दर्ज की जा सकती है।
3. **निगरानी प्रणाली:**
   - केंद्रीय, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और जिला स्तर के नोडल अधिकारियों के लिए एक मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है।
   - यह डैशबोर्ड दर्ज मामलों की संख्या, उनके निपटान और लंबित शिकायतों को ट्रैक करता है।
4. **गोपनीयता सुनिश्चित करना:**
   - पोर्टल शिकायतकर्ता की पहचान को गोपनीय रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
   - केवल आंतरिक समिति (IC) या स्थानीय समिति (LC) के अध्यक्ष ही शिकायत की प्रकृति या विवरण देख सकते हैं।
5. **यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013:**
   - यह पोर्टल "महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के तहत महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की मुख्य प्रावधान:

1. **यौन उत्पीड़न की परिभाषा:**
   - अवांछित शारीरिक संपर्क, यौन प्रस्ताव, यौन उपकार की मांग, यौन टिप्पणी, और कोई भी अनुचित व्यवहार।
2. **आंतरिक शिकायत समिति (ICC):**
   - 10 से अधिक कर्मचारियों वाले हर संगठन में एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन अनिवार्य।
   - इस समिति का नेतृत्व एक महिला करेगी और इसमें महिलाओं के मुद्दों के विशेषज्ञ या NGO प्रतिनिधि जैसे कम से कम एक बाहरी सदस्य शामिल होना चाहिए।
3. **शिकायत प्रक्रिया:**
   - महिलाएं घटना के तीन महीने के भीतर शिकायत दर्ज कर सकती हैं।
   - ICC को शिकायत का निपटारा 90 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है।
4. **गोपनीयता:** शिकायतों और जांच से संबंधित सभी जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा।
5. **नियोक्ता की जिम्मेदारी:**
   - नियोक्ता को रोकथाम के उपाय करने, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने और शिकायतों पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी गई है।
6. **निवारण और मुआवजा:**
   - उत्पीड़न साबित होने पर आरोपी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
   - पीड़िता को मुआवजा दिया जा सकता है।
7. **प्रतिशोध पर रोक:**
   - शिकायतकर्ता या गवाहों के खिलाफ प्रतिशोध को प्रतिबंधित किया गया है।
   - प्रतिशोध या पीड़ितकरण को कानून के तहत एक अलग उल्लंघन माना जाएगा।
8. **दंड:** अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर नियोक्ता पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

Women Personnel in the Central Armed Police Forces (CAPFs)

महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में महिला कार्मिकों की संख्या में पिछले 10 वर्षों (2014-2024) में लगभग तीन गुना वृद्धि हुई है।

भविष्य की भर्ती: 2025 में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और असम राइफल्स में 4,138 महिलाओं की भर्ती की संभावना है।

सीएपीएफ में महिलाओं की वर्तमान स्थिति:

- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs), जिसमें असम राइफल्स भी शामिल है, में महिलाओं का प्रतिशत कुल 9.48 लाख बल में से 4.4% है।
- CISF (सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स), जो हवाई अड्डों, दिल्ली मेट्रो, और संसद परिसर जैसे महत्वपूर्ण सरकारी भवनों की सुरक्षा करता है, में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, जो कुल बल का 7.02% है।
- **अन्य बलों में महिलाओं का प्रतिशत निम्न है:**
    - SSB: 4.43%
    - BSF: 4.41%
    - ITBP: 4.05%
    - असम राइफल्स: 4.01%
    - CRPF: 3.38%

महिलाओं की संख्या में वृद्धि:

- 2014 में CAPFs में महिलाओं की संख्या 15,499 थी, जो 2024 में बढ़कर 42,190 हो गई।
- 2024 में CAPFs और असम राइफल्स में 835 महिला कार्मिकों की भर्ती हुई है, और 5,469 महिला कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

महिलाओं की कम भागीदारी के कारण:

1. **सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाएं:** पारंपरिक भूमिका और समाज की अपेक्षाएं महिलाओं को सशस्त्र बलों में करियर बनाने से हतोत्साहित करती हैं।
2. **भर्ती और बनाए रखने में चुनौतियां:** नीतिगत उपायों के बावजूद, महिलाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया में कम आवेदन और उच्च त्याग दर (attrition rate) प्रमुख चुनौतियां हैं।
3. **कार्यस्थल की कठिनाइयां:** नौकरी की मांग, बार-बार स्थानांतरण और दूरदराज के क्षेत्रों में तैनाती महिलाओं के लिए, विशेष रूप से पारिवारिक जिम्मेदारियों वाली महिलाओं के लिए, कठिन हो सकती हैं।
4. **ढांचागत सुविधाओं की कमी:** अलग आवास और स्वच्छता सुविधाओं की कमी महिलाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने और लंबे समय तक बने रहने से रोक सकती है।

महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उपाय:

1. आरक्षण नीतियां: 2016 में सरकार ने सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में सभी कांस्टेबल स्तर की पदों में से एक-तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया।
    - सीमा सुरक्षा बल (BSF), सशस्त्र सीमा बल (SSB), और आईटीबीपी में 14-15% आरक्षण का प्रावधान है।
2. भर्ती प्रयास: सीएपीएफ में महिलाओं की संख्या 2014 में 15,499 से बढ़कर 2024 में 42,190 हो गई।
    - 2025 में अतिरिक्त 4,138 महिलाओं की भर्ती की योजना है, जिसमें बीएसएफ को सबसे अधिक हिस्सा मिलेगा।
3. संसदीय सिफारिशें: महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 'सॉफ्ट पोस्टिंग' (कम कठिन तैनाती) देने और अत्यधिक श्रमसाध्य कार्य स्थितियों से बचाने की सिफारिश की गई।
    - सीएपीएफ में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण के विकल्प पर विचार करने की भी सलाह दी गई।

भारतीय वायुयान विधेयक बिल / Bhartiya Vayuyan Vidheyak Bill

भारत की संसद ने 2024 का भारतीय वायुयान विधेयक पारित किया, जो 1934 के पुराने वायुयान अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है। यह नया कानून पुरानी और अप्रासंगिक व्यवस्थाओं को हटाने और एक अधिक प्रभावी नियामक ढांचा स्थापित करने का लक्ष्य रखता है।

उद्देश्य:

- वर्तमान कानून में मौजूद अस्पष्टताओं को दूर करना।
- विमानन क्षेत्र में Ease of Doing Business और निर्माण प्रक्रियाओं को सरल बनाना।

मुख्य बिंदु:

1. **अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार**:
    - केंद्रीय सरकार को अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सम्मेलन (जैसे 1944 का शिकागो सम्मेलन और 1932 का अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार सम्मेलन) को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया।
2. **डीजीसीए, बीसीएएस और एएआईबी को अधिक शक्तियां**:
    - नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA), नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS), और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) को अतिरिक्त अधिकार प्रदान किए गए।
3. **जन सुरक्षा के लिए आपातकालीन आदेश**:
    - केंद्रीय सरकार को आपात स्थितियों में, जनहित में विमान को रोकने जैसे आदेश जारी करने का अधिकार।

प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता:

1. **विभिन्न संशोधनों का प्रभाव**: यह अधिनियम कई बार संशोधित किया गया है ताकि विमानन क्षेत्र में सुरक्षा, निगरानी और सतत विकास के लिए आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके तथा अंतरराष्ट्रीय संधियों के प्रावधानों को लागू किया जा सके।
2. **स्पष्टता और सरलीकरण की आवश्यकता**: अनेक संशोधनों के कारण हितधारकों को अस्पष्टता और भ्रम का सामना करना पड़ा, जिसे दूर करना आवश्यक हो गया।
3. **पुरानी व्यवस्थाओं को हटाना**: अधिनियम की अप्रासंगिक और पुरानी व्यवस्थाओं को समाप्त करना ज़रूरी है।
4. **व्यवसाय में आसानी**: प्रक्रियाओं को सरल बनाकर Ease of Doing Business को बढ़ावा देना।
5. **डिज़ाइन और रखरखाव**: विमान और उससे संबंधित उपकरणों के डिज़ाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए स्पष्ट प्रावधानों की आवश्यकता।

विधेयक का महत्व:

1. **आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप**:
    - विमान के डिज़ाइन और निर्माण को विनियमित करने से घरेलू उत्पादन और तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
2. **विस्तृत दायरा**:
    - ड्रोन, मानव रहित विमान (UAV), उड़ने वाली टैक्सियां, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक ग्लाइडर्स को शामिल किया गया।
3. **तेजी से बढ़ते विमानन बाजार की ज़रूरतें पूरी करना**:
    - विमानन क्षेत्र के तेजी से विकास को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक महत्वपूर्ण है।
4. **घरेलू हवाई यात्री यातायात में वृद्धि**:
    - आईसीआरए के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024 में घरेलू हवाई यात्री यातायात में 8–13% की वृद्धि होने की संभावना है।

विमानन क्षेत्र का विकास:

1. **हवाई अड्डों की संख्या में वृद्धि**:
    - 2014 में हवाई अड्डों की संख्या 74 थी, जो अब बढ़कर 157 हो गई है।
2. **विमान बेड़े का विस्तार**:
    - विमान बेड़े का आकार 400 विमानों से बढ़कर 813 विमानों तक पहुंच गया है।
3. **नियमों को अद्यतन करने की आवश्यकता**:
    - इस तेज़ विकास को ध्यान में रखते हुए, आधुनिक और अद्यतन नियमों की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव / Belt and Road Initiative (BRI)

नेपाल ने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) को आगे बढ़ाने के लिए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए।

- ✓ यह समझौता 2017 में हुए प्रारंभिक समझौते के सात साल बाद हुआ है, जो चीन के वैश्विक संपर्क कार्यक्रम के तहत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नेपाल और चीन के बीच बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के तहत समझौते के प्रमुख बिंदु:

1. BRI पर ठोस कदम: नेपाल ने 2017 में BRI से जुड़ने के बाद अब एक नया फ्रेमवर्क समझौता किया है, जो परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक ठोस ढांचा प्रदान करता है।
2. ट्रांस-हिमालयन नेटवर्क पर सहमति: दोनों देशों ने ट्रांस-हिमालयन मल्टी-डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क (THMDCN) पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने की इच्छा जताई है।
3. संपर्क सुविधाओं का विस्तार: यह नेटवर्क बंदरगाहों, सड़कों, रेलवे, विमानन, बिजली ग्रिड और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाने पर केंद्रित है।

बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के बारे में:

1. **परिचय:**
   - बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) की शुरुआत चीन ने 2013 में प्राचीन सिल्क रोड को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से की।
   - इसका उद्देश्य एशिया को यूरोप और अफ्रीका के साथ जोड़ते हुए व्यापार, निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
2. **मुख्य घटक:**
   - **सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट:** यह चीन और मध्य एशिया, यूरोप, तथा पश्चिम एशिया के देशों के बीच संपर्क और सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है।
   - **21वीं सदी का समुद्री सिल्क रोड:** यह चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, तथा अफ्रीका के देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने पर आधारित है।
3. **उद्देश्य:**
   - भाग लेने वाले देशों में व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करना।
   - वैश्विक स्तर पर आर्थिक संबंधों और संपर्क को बढ़ावा देना।

चीन-नेपाल संबंधों का अवलोकन:

1. **भू-राजनीतिक संबंध:**
   - नेपाल ने अपनी विदेश नीति के तहत भारत और चीन, दोनों बड़े पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को संतुलित रखने का प्रयास किया है।
   - हाल के वर्षों में चीन का नेपाल में प्रभाव काफी बढ़ा है, खासकर 2015 में भारत द्वारा लगभग छह महीने तक नेपाल पर आर्थिक नाकेबंदी के दौरान। इस स्थिति ने चीन को नेपाल में तेजी से पैर जमाने का अवसर प्रदान किया।
2. **राजनीतिक हस्तक्षेप:**
   - चीन ने नेपाल की राजनीति में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप किया और माओवादी केंद्र और यूनिफाइड मार्क्सवादी-लेनिनवादी (UML) जैसे दो कम्युनिस्ट दलों को एकजुट करने में भूमिका निभाई।
3. **इतिहास और वैचारिक संबंध:** नेपाल में कम्युनिस्ट आंदोलन और खासकर नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ चीन के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं।
   - नेपाल में एक दशक तक चले सशस्त्र विद्रोह के दौरान, माओवादी आंदोलन को चीन से वैचारिक, तार्किक और सैन्य समर्थन मिला था।

भारत के लिए नेपाल में चीन की बढ़ती उपस्थिति के प्रभाव:

1. **सुरक्षा चिंताएँ:** नेपाल में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए रणनीतिक घेराबंदी का कारण बन सकता है, जिससे भारत की सुरक्षा पर खतरा बढ़ सकता है।
2. **संसाधनों तक पहुंच में बाधा:** चीन के बुनियादी ढांचे और आर्थिक निवेश नेपाल में भारतीय निवेश और संसाधनों पर असर डाल सकते हैं।
3. **बीआरआई और संपर्क:** नेपाल का चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में शामिल होना भारत के हितों को नुकसान पहुंचा सकता है।
4. **क्षेत्रीय समन्वय में कठिनाई:** चीन के साथ नेपाल के घनिष्ठ संबंध चीन को दक्षिण एशिया में रणनीतिक गहराई प्रदान करते हैं, जिससे भारत के लिए क्षेत्रीय पहलों का समन्वय कठिन हो सकता है।

"GET READY FOR A WILD RIDE OF KNOWLEDGE !"

SUBSCRIBE OUR NEW YOUTUBE CHANNEL

ANKIT AVASTHI

Video will be upload soon !

RRB NTPC
TEST SERIES
100+ Mock Test
78 Sectional Test
40+ years PYPs
60+ Current affairs
TEST
Only
99
Per Year
Buy Now

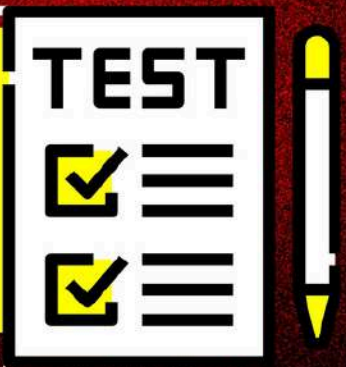

GA FOUNDATION

Hand Written Notes

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Ankit Inspires India

₹ Only 1999

4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

APNI PATHSHALA

UPPSC,RO/ARO,BPSC,UP TEST SERIES

UPPSC
(TEST SERIES)
- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

RO/ARO
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

BPSC
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299 YEAR

SSC (TEST SERIES)
- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

RPF (TEST SERIES)
- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

Download | Application

Apni Pathshala

7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit

AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

NCERT COMPLETE

FOUNDATION BATCH

FOR ALL

- POLITY
- ECONOMICS
- HISTORY
- GEOGRAPHY

- DAILY LIVE CLASSES
- , WEEKLY TEST
- CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
- LIVE DOUBT SESSIONS
- DAILY PRACTISE PROBLEM

Rs 4999/-

Apni Pathshala 7878158882 Apni.Pathshala kaankit AnkitAvasthiSir Avasthiankit

ONLY
POLITY
1499
RS
DAILY LIVE CLASSES
, WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTISE PROBLEM
Apni Pathshala
7878158882
Apni.Pathshala
kaankit
AnkitAvasthiSir
Avasthiankit

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,

Stenographer (Grades C & D)

Only at

99/-Year

Enroll Now !